प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्र. 878 / 2005

मंगलू एवं अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ शासन

निर्णय

विचारार्थ

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता जी

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति
न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध : 03/09/2009

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्र. 878 / 2005

अपीलार्थीगण

1. मंगलू, उम्र लगभग 30 वर्ष, आ. श्री सुखराम सौरी, निवासी ग्राम टेरेगाओं, पुलिस थाना मानपुर, जिला राजनन्दगाँव, छत्तीसगढ़।
2. दिनेश, उम्र लगभग 32 वर्ष, आ. श्री दलपत घांवड़े, निवासी ग्राम बोटेजहरी, थाना मानपुर, वर्तमान में निवासी ग्राम तेरेगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
3. रामसाई टेकाम, उम्र लगभग 21 वर्ष, आ. श्री राजौराम, निवासी ग्राम तेरेगांव, पटेलपारा, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
4. रणवीर, उम्र लगभग 25 वर्ष, आ. श्री अमर सिंह गोंड, निवासी ग्राम तेरेगांव, पटेलपारा, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
5. कोचकराम, उम्र लगभग 36 वर्ष, आ. श्री जगतूराम गोंड, निवासी ग्राम मरकागांव, थाना बुरड़ा (महाराष्ट्र)

विरूद्ध

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ शासन _

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील अंतर्गत धार 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति

अपीलार्थी के लिए श्री पी. के. सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री शशि भूषन, अधिवक्ता।

शासन के लिए श्री सुधीर बाजपाई, उप सरकारी अधिवक्ता।

निर्णय

(03.09.2009)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय **श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश** द्वारा सुनाया गया :

(1) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 06/2004 में दिनांक 25 अगस्त, 2005 को अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 तथा 302/149 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और उन्हें 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹100/- के अर्थदंड तथा आजीवन कारावास एवं ₹1,000/- के अर्थदंड तथा अर्थदंड की अदायगी न होने पर क्रमशः 10 दिन का साधारण कारावास तथा 6 माह का साधारण कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया है। आगे यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त दंड एक साथ चलेंगे।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

25.02.2003 एवं 26.02.2003 की मध्य रात्रि को प्रार्थी कमलेश उर्फ नवलू उसेंडी (जिसका बाद में निधन हो गया), उनके पिता नाहरूराम (गवाह अ. सा. -3), माता सुखोबाई (गवाह अ. सा. -1) तथा भतीजे अशोक कुमार (गवाह अ. सा. -11) अपने गांव मेढ़ा स्थित मकान में मौजूद थे। लगभग रात 12:00 बजे आरोपीगण (संख्या 33), घातक हथियारों से सज्जित होकर उनके घर आए और उनके पिता को बुलाने लगे। जब वे उनके पिता को ले जा रहे थे, तो प्रार्थी ने हस्तक्षेप किया, जिस पर आरोपियों ने उसे पकड़ लिया, पीटा और पास ही धब्बा रोड नाला नामक स्थान पर ले गए। वहां तलवार एवं चाकू से चोटें पहुँचाई गईं। पेट में चोट लगने से प्रार्थी की आंतें बाहर निकल आईं। जब उनकी माता ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने बंदूक से फायर किया। इस घटना की सूचना स्वयं प्रार्थी ने 26.02.2003 को संबंधित पुलिस थाने में दी, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श - पी /18) भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 एवं 307/149 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 के अंतर्गत दर्ज की गई। प्रार्थी ने 10 आरोपियों के नाम, जिनमें पाँच अपीलार्थी भी सम्मिलित थे, प्राथमिकी में लिखाए। वे हैं – मंग्लू सौरी (अपीलार्थी क्रमांक 1), रमेश सलामे, कोच्कु (अपीलार्थी क्रमांक 5), संकुर पुडो, रेनुराम, रणवीर (अपीलार्थी क्रमांक 4), रामसाई (अपीलार्थी क्रमांक 3), दुर्गुराम, दिनेश घावड़े (अपीलार्थी क्रमांक 2) एवं नारू पुडो। प्रार्थी ने यह भी उल्लेख किया कि ये लोग अन्य नक्सलियों के साथ थे, जो भी घातक हथियारों से लैस थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रार्थी कमलेश उर्फ नवलू उसेंडी को उनके चिकित्सा परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल, मानपुर भेजा गया (प्रदर्श - पी /10ए), जहाँ उनका परीक्षण डॉ. संजय मेश्रंम (अ. सा. -7) द्वारा किया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श - पी /10) तैयार की। उन्होंने पाया कि मृतक को पेट के दाहिने हिस्से में एक भेदनकारी चोट, माथे के दाहिने हिस्से में एक चीरित घाव, दाहिनी गाल की हड्डी वाले हिस्से पर सूजन, दर्द एवं कोमलता तथा दाहिनी आँख पर रक्तस्रावी चोटें थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पेट की आंतें चोट क्रमांक 1 से बाहर निकल आई थीं। चोट क्रमांक 2 का आकार 2 **x** 1 **x** 1 इंच था और चोट क्रमांक 3 का आकार 1 **x ½ x ½** इंच था। ये चोटें किसी नुकीले एवं कठोर वस्तु से कारित थीं और प्रकृति में

गंभीर थीं। उन्होंने ने मरीज को शल्य-चिकित्सा परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय, राजनांदगांव निर्दिष्ट किया, जहाँ से उसे मेडिकल कॉलेज, रायपुर निर्दिष्ट किया गया। वहीं इलाज के दौरान 27.02.2003 को दोपहर 1:00 बजे उसकी मृत्यु हो गई।

वार्ड बॉय श्यामलाल पाठक ने थाना मोहरपारा (रायपुर) में मृत्यु संबंधी सूचना (मर्ग इंटिमेशन, प्रदर्श - पी /11) दी। अन्वेषण अधिकारी ने पंचों को नोटिस (प्रदर्श - पी /12) दिया और शव पंचनामा (प्रदर्श - पी /13) तैयार किया। इसके पश्चात् डॉ. अंबेडकर अस्पताल, रायपुर को शव परीक्षण कराने हेतु मांग पत्र (प्रदर्श - पी /9ए) भेजा गया, जिस पर डॉ. उल्हास गोनाडे (अ. सा. -6) ने शव परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श - पी /9) तैयार की। शव परीक्षण अधिकारी ने अनेक चोटों का वर्णन किया, जिनमें पेट पर एक टांके वाला घाव भी सम्मिलित था। आंतरिक परीक्षण में उन्होंने आंत के चारों ओर पस एवं संक्रमण पाया और यह अभिमत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण पेट पर हुई भेदनकारी चोट से उत्पन्न हृदय-श्वसन विफलता था।

मृतक के उपचार के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मानपुर में उसका मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श - पी /21) कार्यपालक मजिस्ट्रेट डी.आर. ठाकुर (अ. सा. -13) द्वारा दर्ज किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपी/अपीलार्थी दिनेश और मंग्लू की गिरफ्तारी के उपरांत उनके मेमोरेण्डम बयान (प्रदर्श - पी /5 एवं **P**/6) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज किए गए और उनकी निशानदेही पर भरमार बंदूक, लाठियाँ तथा नक्सल संबंधी आपत्तिजनक सामग्री जैसे कि पर्चे आदि को जप्त किया गया (प्रदर्श - पी /7 एवं **P**/8)। घटनास्थल से रख्त आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी तथा नुकीली वस्तु का टूटा हुआ टुकड़ा भी जप्त किया गया (प्रदर्श - पी /2)।

सामान्य विवेचना पूर्ण होने के पश्चात 33 आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंबागढ़ चौकी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इनमें से 19 आरोपियों को न्यायालये के समक्ष पेश किया गया, जबकि 14 आरोपियों को फरार दर्शाया गया। उक्त मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय, राजनांदगांव को अभिहित किया, जहाँ से यह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को स्थानांतरित हुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 19 आरोपियों, जिनमें अपीलार्थी भी सम्मिलित थे, का विचारण किया। इनमें से 5 आरोपी/अपीलार्थियों को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध किया गया, जबकि शेष 14 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। अन्य 14 आरोपियों के विरुद्ध विचारण नहीं हो सका क्योंकि उन्हें फरार बताया गया।

(3) अपीलार्थीगण का दोषसिद्धि मुख्यतः मृतक कमलेश @ नवलू उर्षेदी के मृत्युकालिक कथन (प्रद. पी/21) पर आधारित है, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रद. पी/18) द्वारा समर्थन प्राप्त है।

(4) यह तथ्य विवादित नहीं है कि मृतक की मृत्यु एक हत्यात्मक मृत्यु थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रद. पी/18) एवं मृत्युकालिक कथन (प्रद. पी/21) दोनों में मृतक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उस पर घातक हथियारों से प्रहार किया गया, जिसके फलस्वरूप उसे अनेक चोटें आईं, जिनमें पेट पर गंभीर भेदनकारी चोट भी सम्मिलित थी। चिकित्सा साक्ष्य भी अभियोजन के कथन का समर्थन करता है, क्योंकि दो चिकित्सकों ने मृतक के शरीर पर अनेक चोटें पाई और शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने यह राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण पेट पर लगी भेदनकारी चोट के कारण उत्पन्न हृदय-श्वसन विफलता थी। अतः यह स्थापित है कि मृतक कमलेश @ नवलू उषेंदी की मृत्यु हत्यात्मक थी।

(5) अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के.सी. तिवारी ने यह तर्क किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रद. पी/18) कूटरचित और मनगढ़ंत प्रतीत होती है। उन्होंने हमें उस मांग पत्र (प्रद. पी/10 ए) की ओर आकृष्ट किया, जिसके द्वारा मृतक को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया था, और यह तर्क किया कि उक्त मांग पत्र में यह उल्लेख है कि मृतक पर नक्सलियों ने हमला किया है, जबकि वहाँ उन अभियुक्तों के नाम होने चाहिए थे जिनका उल्लेख प्राथमिकी में किया गया है। हम उक्त तर्क में कोई बल नहीं पाते। विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मांग पत्र में हमलावरों के नाम लिखे ही जाएँ। मांग पत्र में दिया गया स्तम्भ केवल सामान्य विवरण हेतु है, जिससे मुतज़र व्यक्ति का चिकित्सकीय परीक्षण सुगमता से किया जा सके। हमने यह पाया कि विवेचक अधिकारी ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि घायल (जो बाद में मृत हो गया) पर नक्सलियों ने हमला किया। हम यह भी पाते हैं कि प्राथमिकी में प्रारंभिक रूप से 10 अभियुक्तों के नाम उस स्तंभ में अंकित किए गए हैं, जो इसी उद्देश्य के लिए निर्धारित है, और यह भी लिखा गया है कि "हथियार से सज्जित अन्य नक्सली।" इसका अभिप्राय यह है कि विवेचक अधिकारी ने सभी अभियुक्तों के नाम अलग-अलग न लिखकर सामान्य रूप में केवल इतना लिखा कि मृतक पर नक्सलियों ने हमला किया, जो कि स्वाभाविक प्रतीत होता है। हमारे विचार में, मृतक के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु दिए गए मांग पत्र (प्रद. पी/10 ए) में हमलावरों के नाम न लिखे जाना न तो विधि की आवश्यकता थी और न ही इससे अभियोजन के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, विशेषकर जब यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि मृतक पर नक्सलियों ने हमला किया था, जो कि मृतक द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में किए गए उल्लेख से मेल खाता है।

(6) श्री तिवारी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि "गवाहों के कथनों में यह बात नहीं आई है कि मृतक को पहले थाना ले जाया गया और फिर उसे अस्पताल भेजा गया, अतः मृतक द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी संदिग्ध प्रतीत होती है।" प्राथमिकी में घटना का विस्तृत विवरण अंकित है। विवेचक अधिकारी विनोद कुमार मंडावी (प्र.ग.–12) ने प्राथमिकी को सिद्ध किया है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि प्राथमिकी पर उनका हस्ताक्षर है और यह उनके द्वारा मृतक से प्राप्त सूचना पर लिखी गई थी। उन्होंने मृतक के हस्ताक्षर को भी प्राथमिकी पर प्रमाणित किया। प्रति-परीक्षण के अनुच्छेद–10 में उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राथमिकी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतक के कहने पर ही दर्ज की गई थी, अभियुक्तों के नाम मृतक से प्राप्त जानकारी पर ही अंकित किए गए और मृतक द्वारा दी गई सूचनाओं को लिखित रूप में परिवर्तित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना गलत होगा कि उन्हें सूचना मिली थी कि मृतक अस्पताल में भर्ती है और तब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की। अशोक कुमार (प्र.ग.–11) ने अपने मुख्य परीक्षण के अनुच्छेद–2 में स्पष्ट रूप से कहा कि रात्रि में हमले के बाद कमलेश घर वापस आया और तत्पश्चात् उसे वे लोग मानपुर थाना ले गए। उपर्युक्त साक्ष्यों के आलोक में हम यह नहीं स्वीकार सकते कि ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि मृतक को सर्वप्रथम थाने ले जाया गया था, जहाँ उसने स्वयं रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

(7) तत्पश्चात् श्री तिवारी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी तथा मृत्युकालीन कथन पर किए गए हस्ताक्षर आपस में मेल नहीं खाते, अतः ये दस्तावेज कूटरचित प्रतीत होते हैं। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि प्राथमिकी लिखने वाले (अ.सा.–12) तथा वह कार्यपालक दंडाधिकारी, जिन्होंने मृत्युकालीन कथन अंकित की थी और मृतक के हस्ताक्षर को उस पर प्रमाणित किया था (अ.सा.–13), दोनों ने अपने साक्ष्य में इसे सिद्ध किया है। हमने दोनों हस्ताक्षरों में कुछ सूक्ष्म भिन्नताएँ अवश्य देखी हैं, किंतु उनकी शैली समान प्रतीत होती है। ये दोनों दस्तावेज़ अलग-अलग तिथियों में हस्ताक्षरित किए गए थे। निर्विवाद रूप से मृतक को गंभीर चोटें आई थीं और वह अस्पताल में उपचाराधीन था, अतः हस्ताक्षर में स्वाभाविक परिवर्तन आना संभव है। यदि पुलिस इन दस्तावेजों को गढ़ना चाहती, तो किसी साधारण व्यक्ति से समान हस्ताक्षर करा लेती जिससे भिन्नताओं का प्रश्न ही न उठता। इसके अतिरिक्त, इस बिंदु पर प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। अतः थाना प्रभारी (अ.सा.–12) तथा कार्यपालक दंडाधिकारी (अ.सा.–13) के साक्ष्य के आधार पर श्री तिवारी द्वारा प्रस्तुत यह तर्क माना नहीं जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) श्री तिवारी ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि घटना अंधेरी रात में हुई थी तथा प्रकाश की उपलब्धता का कोई प्रमाण नहीं है, अतः हमलावरों की पहचान में भ्रम की संभावना थी। हम इस तर्क में कोई बल नहीं पाते, क्योंकि अ. सा. –11 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वह कमलेश के साथ सोया हुआ था। सुकोबाई बरामदे में सो रही थीं और बरामदे में बत्तियाँ जल रही थीं। नक्सलवादी वहाँ आए और उसके भाई को अपने साथ ले गए। हम यह भी पाते हैं कि प्राथमिकी में स्वयं मृतक ने उल्लेख किया है कि बरामदे की बत्तियाँ जल रही थीं। अतः मृतक को हमलावरों की पहचान करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त था और यह नहीं कहा जा सकता कि अंधकार या घर में प्रकाश की अनुपलब्धता के कारण मृतक हमलावरों की पहचान करने में असमर्थ था।

(9) श्री तिवारी ने तत्पश्चात् मृत्युकालीन कथन के संबंध में अपना दूसरा तर्क प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि मृत्युकालीन कथन सिद्ध नहीं हुआ है; उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता; कार्यपालक मजिस्ट्रेट (अ.सा.–13) का साक्ष्य भरोसेमंद नहीं है तथा मृतक मृत्युकालीन कथन देने की स्थिति में भी नहीं था। ***के. रामचन्द्र रेड्डी एवं एक अन्य विरूद्ध लोक अभियोजक, ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1994*** के प्रकरण

पर अवलंब लेते हुए उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मृत्युकालीन कथन प्रश्न–उत्तर के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

(10) के. रामचन्द्र रेड्डी के प्रकरण (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि "मृत्युकालीन कथन निःसंदेह धारा 32 के अंतर्गत स्वीकृति है और यह शपथपूर्वक दिया गया कथन नहीं है, जिससे इसकी सत्यता का परीक्षण प्रतिपरीक्षण द्वारा किया जा सके। अतः न्यायालयों को ऐसे कथन पर कार्यवाही करने से पूर्व अत्यधिक कठोर परीक्षण और अत्यंत सावधानीपूर्वक छानबीन करनी होगी। मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति झूठ बोलने अथवा किसी निर्दोष को फँसाने के उद्देश्य से कहानी गढ़ने की संभावना बहुत कम होती है, इस कारण मृत्युकालीन कथन को विशेष गंभीरता और पवित्रता प्रदान की जाती है। फिर भी, न्यायालय को इस बात से सतर्क रहना होगा कि मृतक का कथन किसी प्रकार की सिखावन, प्रेरणा अथवा उसकी कल्पना का परिणाम न हो। न्यायालय को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि मृतक कथन देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम था, उसे अपने हमलावरों को देखने व पहचानने का स्पष्ट अवसर प्राप्त था और वह कथन किसी बाहरी प्रभाव या दुर्भावना के बिना किया गया था। एक बार जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाए कि मृत्युकालीन कथन सत्य और स्वैच्छिक है, तो उस पर अकेले भी दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है, भले ही अन्य किसी पुष्टिकरण की आवश्यकता न हो। न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि यदि मृत्युकालीन कथन किसी सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् रूप से, अर्थात प्रश्न–उत्तर के रूप में और यथासंभव कथनकर्ता के अपने शब्दों में दर्ज किया गया हो, तो वह उस मृत्युकालीन कथन की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय माना जाएगा, जो मौखिक साक्ष्य पर आधारित हो और जो मानव स्मृति एवं मानव स्वभाव की कमजोरियों से ग्रसित हो सकता है। मृत्युकालीन कथन की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए न्यायालय को उन परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है, जैसे कि— क्या मृत्युप्राय व्यक्ति को अवलोकन का अवसर प्राप्त था; उदाहरणस्वरूप, यदि अपराध रात्रि में घटित हुआ हो तो क्या वहाँ पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध था; क्या कथन करते समय उसकी स्मरण शक्ति किसी अनियंत्रित परिस्थिति से प्रभावित तो नहीं थी; यदि मृतक को कई अवसरों पर मृत्युकालीन कथन करने का अवसर मिला हो, तो क्या उसका कथन लगातार एक जैसा रहा; और क्या कथन शीघ्रतम अवसर पर किया गया तथा किसी स्वार्थी पक्ष द्वारा सिखाया गया नहीं था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) अतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इतना कहा है कि यदि मृत्युकालीन कथन विधिवत् रूप से, अर्थात प्रश्न–उत्तर के रूप में और यथासंभव कथनकर्ता के अपने शब्दों में दर्ज किया गया हो, तो वह उस मृत्युकालीन कथन की तुलना में कहीं अधिक महत्व का होगा जो केवल मौखिक साक्ष्य पर आधारित हो। इसका तात्पर्य यह है कि यदि मृत्युकालीन कथन अन्यथा अपनी वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं पर विधि द्वारा ग्राह्य हो, तो केवल इस आधार पर न्यायालय उसे अस्वीकार नहीं करेगा कि उसे प्रश्न–उत्तर के

रूप में दर्ज नहीं किया गया है, विशेषकर तब जब न्यायालय उस कथन की वास्तविकता और सत्यता के प्रति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो।

(12) वर्तमान प्रकरण में मृत्युकालीन कथन कार्यपालक दंडाधिकारी डी.आर. ठाकुर (अ. सा. -13) द्वारा दर्ज किया गया। उन्होंने कथन किया है कि दिनांक 26.2.2003 को थाना मनपुर से यह ज्ञापन प्राप्त होने पर कि नवलू @ कमलेश, पिता नौरुराम का मृत्युकालीन कथन दर्ज किया जाना है, वे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनपुर पहुँचे और नवलू की स्थिति के संबंध में मृत्युकालीन कथन दर्ज करने हेतु खंड चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया। जब खंड चिकित्सा अधिकारी ने प्रमाणित किया कि नवलू मृत्युकालीन कथन देने की स्थिति में है, तब उन्होंने उसका मृत्युकालीन कथन (प्रदर्श - पी /21) दर्ज किया। नवलू ने बयान दिया कि हमलावर उसके पिता को मारने आए थे और उसके हस्तक्षेप करने पर उसे भी उन्होंने घायल किया। इस साक्षी ने मृत्युकालीन कथन पर अपने हस्ताक्षर सिद्ध किए। उक्त मृत्युकालीन कथन को बंद लिफाफे में रखकर थाना प्रभारी, मनपुर को सौंपा गया, जिसका दस्तावेज प्रदर्श - पी /23 है। मृत्युकालीन कथन दो पृष्ठों पर था, जिन पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर तथा खंड चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर सिद्ध किए। इस साक्षी से प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा औपचारिक प्रति परीक्षण की गई, परंतु प्रतिरक्षा इस प्रकार की कोई परिस्थिति प्रस्तुत करने में असफल रहा जिससे यह कहा जा सके कि इस साक्षी का कथन अस्वीकार कर दिया जाए अथवा उसने उपरोक्त दस्तावेज को गढ़ा है जैसा कि प्रतिरक्षा पक्ष ने आरोप लगाया है। मृत्युकालीन कथन की विषयवस्तु से यह ज्ञात होता है कि यह प्रत्यक्ष रूप में है तथा मृतक ने मृत्युकालीन कथन में छह अभियुक्तों के नाम स्पष्ट रूप से बताए हैं। इन छह अभियुक्तों में पाँच वर्तमान अपीलार्थी हैं तथा छठा अभियुक्त फरार है। मृतक द्वारा दिए गए मृत्युकालीन कथन पर दंडाधिकारी की गवाही पर हमे संदेह करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । दंडाधिकारी ने समस्त सावधानियाँ बरतीं; उन्होंने पहले चिकित्सक से यह सुनिश्चित किया कि मृतक मृत्युकालीन कथन देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम है और जब चिकित्सक ने प्रमाणित किया कि वह कथन देने की स्थिति में है, तभी उन्होंने उक्त कथन दर्ज किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) ***<u>लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 6 एस. सी. सी. 710</u>*** के प्रकरण में निर्दिष्ट संविधानपीठ के समक्ष भेजा गया था, जिसमें यह प्रश्न उठाया गया कि क्या चिकित्सक के प्रमाणपत्र जो यह दर्शाता हो कि मरीज़ सचेत था परन्तु इसका प्रमाणन नहीं था की मृत्युकालीन कथन करते समय वह मानसिक रूप से सक्षम था तो मृत्युकालीन कथन को अस्वीकार्य होता है, तथा क्या उस दंडाधिकारी की वैयक्तिक संतुष्टि जिसने मृत्युकालीन कथन दर्ज किया कि मृत्युकालीन कथन देने के समय मानसिक रूप से सक्षम था, उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए — क्या यह कानून की सही व्याख्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण मुद्दे पर विचार करने के पश्चात् कहा कि सामान्यतः यह देखने के लिए कि क्या मृतक मृत्युकालीन कथन करने के लिए मानसिक रूप से सक्षम था, न्यायालय चिकित्सीय मत की ओर देखता है। किन्तु जहाँ

चक्षुदर्शी साक्षी यह बताते हैं कि मृतक कथन करने के लिए सुस्पष्ट और सचेत अवस्था में था, वहाँ चिकित्सकीय मत प्रधान नहीं होगा, न ही यह कहा जा सकता कि चिकित्सक द्वारा कथनकर्ता की मानसिक उपयुक्तता का कोई प्रमाणपत्र न होने पर मृत्युकालीन कथन अस्वीकार्य है। न्यायालय ने आगे कहा कि मृत्युकालीन कथन मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी, और पर्याप्त संप्रेषण का तरीका — चाहे शब्दों द्वारा हो, इशारों द्वारा हो अथवा किसी अन्य प्रकार से — प्रयाप्त होगा बशर्ते संकेत सकारात्मक और निश्चित हों। यह भी कहा गया कि विधि की कोई आवश्यकता नहीं है जिसके अनुसार मृत्युकालीन कथन अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष ही किया जाना चाहिए; और जब ऐसा कथन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है तो उसके लिए कोई निर्धारित वैधानिक फॉर्म नहीं है। परिणामी रूप से, ऐसे कथन को किस पारग्रहिक मूल्य या महत्व दिया जाना चाहिए, वह प्रत्येक विशेष मामले की तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो मूल रूप से आवश्यक है वह यह है कि जो व्यक्ति मृत्युकालीन कथन दर्ज कर रहा है, उसे यह अवश्यतया संतोष होना चाहिए कि मृतक कथन करने के समय मानसिक रूप से सक्षम था। जहाँ मजिस्ट्रेट की गवाही से यह सिद्ध हो जाए कि कथनकर्ता डॉक्टर की परीक्षा के बिना भी कथन देने के लिए सक्षम था, तो उस स्थिति में यदि न्यायालय अंततः यह ठहराता है कि कथन स्वैच्छिक और सत्यनिष्ठ था, तो उस पर कार्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि चिकित्सक का प्रमाणपत्र मूलतः सावधानी का एक नियम मात्र है और इसलिए मृत्युकालीन कथन की स्वैच्छिक तथा सत्यनिष्ठ प्रकृति अन्य प्रकार से भी सिद्ध की जा सकती है। अतः वह संदर्भ यह निष्कर्ष दे कर लौटाया कि "यदि चिकित्सक का प्रमाणपत्र न हो कि घायल उक्त कथन करते समय मानसिक रूप से सक्षम था, तो केवल उस आधार पर कि मजिस्ट्रेट की वैयक्तिक संतुष्टि थी कि वह सक्षम था, उसे स्वीकार कर लेना बहुत जोखिम भरा होगा" — यह कथन विधि की सही व्याख्या नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) ***लोकेन्द्र तिवारी उर्फ कौशलेंद्र बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2009 क्रीम. एल. जे. 420*** के प्रकरण में हमारे समक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या मृत्युकालीन कथन दर्ज करने वाला मजिस्ट्रेट स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख करे कि कथनकर्ता मृत्युकालीन कथन देने के लिए उपयुक्त मानसिक अवस्था में था, अथवा पहले उसे इस आशय का प्रमाणपत्र देना चाहिए और फिर मृत्युकालीन कथन दर्ज करना चाहिए, और यदि यह अभाव हो तो मृत्युकालीन कथन को असत्य अथवा गलत नहीं माना जाएगा? हमने उक्त प्रकरण में यह निर्धारीत किया कि यदि मजिस्ट्रेट की संतुष्टि लिखित रूप में अंकित कर दी गई है तो यह उचित है, परंतु यदि ऐसी संतुष्टि या प्रमाणपत्र लिखित रूप में अंकित नहीं किया गया है, तो मात्र इस आधार पर मृत्युकालीन कथन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यदि अभिलेखों पर यह स्थापित हो जाए कि मजिस्ट्रेट मृतक की चेतना और मानसिक स्थिति के संबंध में संतुष्ट था और उसका मत था कि मृतक मृत्युकालीन कथन देने की स्थिति में था। हमने आगे यह भी निर्धारित किया कि इस संबंध में मजिस्ट्रेट की संतुष्टि न्यायालय द्वारा मृत्युकालीन कथन के परीक्षण तथा मजिस्ट्रेट की गवाही से प्राप्त की जा सकती है और यह आवश्यक नहीं है कि मजिस्ट्रेट स्पष्ट शब्दों में कहे कि मृतक मृत्युकालीन कथन देने के लिए

उपयुक्त मानसिक अवस्था में था, अथवा वह ऐसा प्रमाणपत्र देकर ही मृत्युकालीन कथन दर्ज करना प्रारंभ करे।

(15) उपर्युक्त विधिक स्थिति हमारे समक्ष उठाए गए अभिवाक्यों का समाधान प्रस्तुत करती है। वर्तमान प्रकरण में डॉक्टर द्वारा प्रमाणन उपलब्ध है। उपरोक्त के अतिरिक्त, मजिस्ट्रेट ने यह बयान दिया है कि उन्होंने डॉक्टर से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरांत ही मृत्युकालीन कथन दर्ज किया, जिसमें मृतक ने छह अभियुक्त व्यक्तियों के नाम अपने हमलावरों के रूप में लिए, जिनमें वर्तमान अपीलार्थी पाँच भी सम्मिलित हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, श्री तिवारी द्वारा उठाए गए आधारों पर हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट (अ. सा. -13) की गवाही अथवा मृत्युकालीन कथन (प्रदर्श - पी /21) में कोई त्रुटि नहीं पाते।

(16) मृत्युकालीन कथन में मृतक ने पाँचों अपीलार्थीगण के नाम लिए थे और उनके नाम मृतक द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में भी उल्लिखित हैं। इसी आधार पर सत्र न्यायाधीश ने यह निर्धारित किया कि मृत्युकालीन कथन को प्राथमिकी के तथ्यों द्वारा पुष्ट किया गया है और अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया गया है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह भी निर्धारित किया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने एक अवैध जमावड़ा किया और तत्पश्चात घातक हथियारों से दंगा किया तथा अवैध जमावड़े के समान उद्देश्य की पूर्ति में उन्होंने मृतक पर प्रहार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं, जिनमें पेट की चोट भी शामिल थी और जिनके कारण उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) हमें सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए ऐसे निष्कर्षों में कोई भी त्रुटि या गैरकानूनीता प्रतीत नहीं होती। अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि अभिलेख पर उपलब्ध ठोस, निर्णायक और विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित है।

(18) अपील में कोई आधार नहीं है, अतः निरस्त किया जाना उचित है और इसे निरस्त किया जाता है।

सही/-	**सही/-**
मुख्य न्यायाधीश	**सुनील कुमार सिन्हा**
माननीय न्यायाधीश	**माननीय न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Shikhar Bakhtiyar